



Neutral Citation No. - 2026:AHC:4254

इलाहाबाद उच्च न्यायालय आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 44799 वर्ष 2025 कीटव उर्फ विकाशआवेदक बनाम उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : कौशल मिश्रा, रघुवेन्द्र प्रकाश, वरिष्ठ अधिवक्ता विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शा.अधि., उमेश सिंह

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई। सूचक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नहीं हैं।
2. आज दाखिल पूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
3. श्री गौरव कक्कड़, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री रघुवेन्द्र प्रकाश, विद्वान अधिवक्ता द्वारा सहायता प्राप्त करते हुए, आवेदक की ओर से, तथा श्री राम मोहित यादव, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से की सुनवाई की गई एवं अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का परिशीलन किया गया।
4. आवेदक, मुकदमा अपराध संख्या 146 वर्ष 2025, धाराएँ 103(1), 109(1) बी.एन.एस., 2023, थाना शिवाला कलाँ, जिला बिजनौर, के अंतर्गत विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहता है।
5. आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक का प्रकरण सह-अभियुक्त हरदीप के समतुल्य है जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.2025 को आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 43967 वर्ष 2025 में पारित आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, किन्तु प्राथमिकी के प्रथम भाग में लगाये गये आरोपों के अतिरिक्त आवेदक को मृतक पर गोली चलाने की भूमिका भी सौंपी गई है, यद्यपि मृतक को कोई आग्नेयास्त्र की चोट नहीं आई।
6. आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क दिया कि आवेदक के इशारे पर लाठी की असत्य बरामदगी दिखाई गई है। आवेदक को सौंपा गया एक प्रकरण का आपराधिक इतिहास स्पष्ट किया गया है। आवेदक दिनांक 21.09.2025 से जेल में निरुद्ध है तथा वह विचारण में सहयोग करने को तत्पर है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
7. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया, किन्तु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाये गये निवेदन को विवादित नहीं कर सके।
8. सर्वोच्च न्यायालय ने प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2020) 11 SCC 648 में अभिनिर्धारित किया है कि यदि अन्यथा अभियुक्त का जमानत के लिए प्रकरण बनता हो तो केवल अनेक आपराधिक मामलों का लंबित होना जमानत से इनकार का आधार नहीं हो सकता।
9. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किये गये निवेदन, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य तथा यह ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का प्रकरण सह-अभियुक्त हरदीप के समतुल्य है जिसे इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, न्यायालय प्रथम दृष्टया यह विचार

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



रखता है कि आवेदक ने जमानत के लिए प्रकरण बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

10. आवेदक - कीटव उर्फ विकाश, जो उपर्युक्त अपराध मामले में संलिप्त है, को सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका तथा प्रत्येक समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाये। (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा। (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों को दबाव में नहीं लायेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा। (iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत तिथि पर उपस्थित होगा।
11. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।
12. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल) जनवरी 8, 2026 (रवि कांत)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"